सं0-30/2017/5883/62-2-2017-2/3(16)/2017

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लधु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त,2017**

विषय- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-1014/ल0 सिं0/बजट-scsp/tsp/2017-18, दिनांक 08.8.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.8.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य योजना) में लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-957/62-2-2017-2/3(16)/2017, दिनांक 03.5.2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-208.33 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0-291.67 लाख (रूपया दो करोड इक्यान्बे लाख सरसठ हजार मात्र) को श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 03.05.2017 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

2- तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017,दिनांक 03.8.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-30/2017/5883(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।